

प्रार्थी के वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुन्त. प्रार्थना पत्र एस डी ओ नगर के खिलाफ पेश किया गया है, एस डी ओ नगर का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रकरण प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होने के बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर